संख्याः 2130/VII–2/15/98(एस.एम.एम.ई.)/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादूनः दिनांक 03 नवम्बर, 2015

विषयः– राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम स्थापना हेतु महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए "**महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना**" दिनांक 15 अगस्त, 2015 से आरम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजनान्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन दिये जायेंगेः

1. **पूंजीगत् उपादान सहायताः** कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 25 लाख।
2. **ब्याज उपादान सहायताः** बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 6 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

योजना का उद्देश्यः–

योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन कर उद्यम स्थापना के लिए वांछित पूंजी की व्यवस्था के लिए बैंकों के माध्यम से

सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि महिलायें स्वयं का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका भी निभा सकें। आगामी 3 वर्षों में योजना के अन्तर्गत 10,000 महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

महिला उद्यमी की परिभाषाः–

महिला उद्यमी से आशय ऐसी महिला से है, जिसने स्वयं के स्वामित्व में उद्यम स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो। भागेदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदारी, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी समिति/सहकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य महिलायें होनी आवश्यक हैं।

योजना का क्रियान्वयनः–

योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। प्रदेश स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड तथा जिला स्तर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा।

पात्रता एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

पात्रताः–

1. नये उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसके द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2015 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/क्रियाकलाप प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. भाग–1/ई.एम. भाग–2 की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

2. विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो। विनिर्माणक उद्यमों के लिए वर्तमान में प्लांट व मशीनरी में निवेश की सीमा क्रमशः ₹ 25 लाख, ₹ 5 करोड़ तथा ₹ 10 करोड़ एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम के लिए उपकरण में विनिधान की सीमा क्रमशः ₹ 10 लाख, ₹ 2 करोड़ तथा ₹ 5 करोड़ निर्धारित है।
3. ऐसे उद्यम में महिला का पूर्ण स्वामित्व हो। सहकारी संस्था/समिति, स्वयं सहायता समूह, साझेदारी तथा प्रा.लि. कम्पनी की दशा में महिला उद्यमी/उद्यमियों की अंशधारिता 51 प्रतिशत से अधिक हो।
4. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

<u>स्पष्टीकरणः–</u>

1. ऐसी महिला उद्यमी, जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा शासकीय संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीगत् तथा ब्याज उपादान सहायता के लिए अर्हता रखती हों, के लिए यह विकल्प रहेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसी योजनाओं में से, जिसमें उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो, के अन्तर्गत पूंजीगत् तथा ब्याज प्रोत्साहन सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
2. ऐसे उद्यम, जिन्हें दिनांक 15 अगस्त, 2015 से पूर्व वित्त पोषक बैंक/संस्था द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी की प्रथम किश्त संवितरित की गई हो अथवा उद्यम स्थापना हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हो, इस सुविधा की पात्र नहीं होंगे।
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसी स्वरोजगार योजनाओं, जैसेः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिनमें मार्जिन मनी अथवा पूंजीगत् उपादान के रूप

में उपादान की सुविधा दी जा रही हो, को भी इस योजनान्तर्गत ब्याज प्रोत्साहन सहायता का लाभ अर्हता के अनुसार अनुमन्य होगा तथा ये लाभ सम्बन्धित उद्यम/उद्यमी/संस्था को ''टॉप अप'' के रूप में दिए जा सकेंगे बशर्ते कि उक्त योजनाओं में ऐसी सुविधा पर रोक न लगायी गयी हो।

<u>वित्तीय प्रोत्साहन हेतु दावा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रक्रियाः–</u>

पात्र उद्यमों द्वारा इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगाः–

1. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–1 की अभिस्वीकृति की प्रति।
2. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की प्रति।
3. वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्यम हेतु अनुमोदित परियोजना में स्थिर परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी हेतु स्वीकृत सावधि ऋण (term loan)/कार्यशील पूंजी का स्वीकृति पत्र तथा स्वीकृत ऋण के संवितरण का प्रमाण–पत्र।
4. उद्यम में किये गये स्थायी (Fixed) पूंजी निवेश, जिसमें उद्यम हेतु वांछित आवश्यक भूमि, कारखाना भवन, प्लांट व मशीनरी, फिक्चर फर्नीचर, उपकरण आदि खरीद में किये गये व्यय तथा अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित है, के बिल वाउचर, भुगतान रसीद/बैंक के भुगतान के विवरण तथा अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दिया गया स्थायी पूंजी निवेश का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां।
5. निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नये उद्यम द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की किश्त, उद्यम पर अधिरोपित ब्याज, उद्यम द्वारा भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज उपादान की दर तथा उपादान राशि से सम्बन्धित

गणना विवरण पत्र, जो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्था के शाखा प्रबन्धक या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

6. वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नहीं है।

7. ब्याज उपादान सम्बन्धी दावा वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

8. पूंजीगत् उपादान दावा उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में पूंजी उपादान तथा ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया इस योजना में भी प्रवृत्त रहेगी तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति के लिए एम.एम.एम.ई. नीति के अन्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति अधिकृत होंगी।

10. ₹ 5.00 लाख तक के दावों का भुगतान जनपद स्तरीय समिति की स्वीकृति के उपरान्त तथा ₹ 5.00 लाख से ऊपर के दावों का भुगतान राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति के उपरान्त किया जा सकेगा। ऐसे दावों के भुगतान हेतु उपलब्ध बजट के सापेक्ष प्राथमिकता दी जाएगी।

11. ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 6 मॉह के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले एक त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावे को स्वीकार नहीं किया

जायेगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

12. पूंजीगत् उपादान का दावा वाणिज्यिक उत्पादन/क्रियाकलाप प्रारम्भ करने के 6 मॉह के भीतर सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

<u>वित्तीय प्रोत्साहनों की वसूलीः—</u>

1. वित्तीय प्रोत्साहन की राशि इकाई के खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि इकाई/बैंक द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से उपादान प्राप्त किया गया है, तो संवितरित उपादान की राशि की वसूली ब्याज सहित की जायेगी। यह वसूली सम्बन्धित बैंक/इकाई या दोनों से भू—राजस्व वसूली के सादृश्य की जा सकेगी।
2. वित्तीय प्रोत्साहन सहायता केवल उन्हीं उद्यमों को प्राप्त होगी, जो उपादान मिलने की तिथि के बाद कम से कम 3 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर लें।

<u>अन्यः—</u>

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लिये बन्धनकारी होगा। विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण व्याख्या हेतु शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे।

2. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड सक्षम होंगे।
3. वित्तीय प्रोत्साहनों से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख–रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

कृपया प्रदेश में उपरोक्तानुसार योजना का संचालन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–542 / XXVII(2) / 2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2130(1) / VII–2 / 15 / 98(एम.एम.एम.ई.) / 2015 दिदिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव–मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मा. मंत्री, एम.एस.एम.ई., उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त महाप्रबन्धक / प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा सें,

(डा० आर. राजेश कुमार)
अपर सचिव।